संख्या- 93 **/2025/I/** 922347 **/2025/71-1002(002)/45/2021**

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक** 30 **मार्च, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर सम्बद्ध नेहरू चिकित्सालय में वार्ड न0-12 के जीर्णोद्धार कार्य हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2024-25/645, दिनांक 08.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर सम्बद्ध नेहरू चिकित्सालय में वार्ड न0-12 के जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू0 182.20 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-67/2024/I/522009/2024/71-1002(002)/45/2021**,** दिनांक 16.03.2024 द्वारा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर सम्बद्ध नेहरू चिकित्सालय में वार्ड न0-12 के जीर्णोद्धार कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 402.08 लाख प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 219.88 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। परियोजना हेतु रू0 182.20 लाख की धनराशि अवमुक्त किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर सम्बद्ध नेहरू चिकित्सालय में वार्ड न0-12 के जीर्णोद्धार कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 402.08 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4210-105-03-43-राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य मद में पुनिर्विनयोग (बी0एम0-9 संलग्न) के माध्यम से उपलब्ध धनराशि में से प्रश्नगत कार्य हेतु **अवशेष धनराशि / अंतिम किश्त** के रूप में **रू0 182.20 लाख (रू0 एक करोड़ बयासी लाख बीस हजार मात्र) की** धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जायेगी।
6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।
7. परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-67/2024/I/522009/2024/71-1002(002)/45/2021, दिनांक 16.03.2024 में उल्लिखित शेष शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 1,82,20,000 (रुपये एक करोड़ बयासी लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054300 मेडिकल कालेज गोरखपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 30-03-2025 14:43:20

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व तद्दिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारापोरशन लि0, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20242025-71-1002-74-2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 04 परियोजनाओं हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031054800 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	39,40,65,000 रुपये उनतालीस करोड़ चालीस लाख पैंसठ हजार मात्र	39,40,65,000 रुपये उनतालीस करोड़ चालीस लाख पैंसठ हजार मात्र	17,99,53,000 रुपये सत्रह करोड़ निन्यानबे लाख तिरेपन हजार मात्र	17,99,53,000 रुपये सत्रह करोड़ निन्यानबे लाख तिरेपन हजार मात्र	21,41,12,000 रुपये इक्कीस करोड़ इकतालीस लाख बारह हजार मात्र	2024-2025
कुल					₹ 17,99,53,000	₹ 17,99,53,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	4210031054300 (मेडिकल कालेज गोरखपुर)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	21,00,00,000 रुपये इक्कीस करोड़ मात्र	17,99,53,000 रुपये सत्रह करोड़ निन्यानबे लाख तिरेपन हजार मात्र	17,99,53,000 रुपये सत्रह करोड़ निन्यानबे लाख तिरेपन हजार मात्र	38,99,53,000 रुपये अड़तीस करोड़ निन्यानबे लाख तिरेपन हजार मात्र	2024-2025
कुल				₹ 17,99,53,000	₹ 17,99,53,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-48-राजकीय मेडिकल कालेज बदायूँ के मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य मद में रू0 1799.53 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में चालू 04 परियोजनाओं हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने हेतु कुल रू0 1799.53 लाख की धनराशि निर्गत किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है-

(रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	उपयोगिता प्रमाण-पत्र	अवशेष धनराशि
1	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर के परिसर के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सहित नई सीवर लाइन बिछाने का कार्य।	2171.64	1592.91	1351.10 (84.81 प्रतिशत)	578.73
2	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर के नवनिर्मित फार्मेसी एवं नर्सिंग कालेज के लिए 100 कमरों का बहुमंजिला डबल सीटेड ब्वायज छात्रावास का निर्माण कार्य।	2226.25	1555.56	1280.45 (82.31 प्रतिशत)	670.69
3	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में	735.81	367.905	280.90 (76.35 प्रतिशत)	367.905

	आडीटोरियम के जीर्णोद्धार/ रिनोवेशन कार्य।				
4	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर सम्बद्ध नेहरू चिकित्सालय में वार्ड नं0-12 का जीर्णोद्धार कार्य।	402.08	219.88	170.00 (77.31 प्रतिशत)	182.20
कुल योग-		5535.78	3736.255	3082.45	1799.525

महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अनुसार उक्त 04 परियोजनाओं हेतु निर्गत धनराशि का पृथक-पृथक 75 प्रतिशत से अधिक का उपभोग कर लिया गया है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-783-E-3-490-X-2024-25-दिनांक:26-03-2025

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)

अनु सचिव।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।